सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-509/DL/20/2022-SSW

Dated: - 01.07.2024

सेवा में,

प्रो. सिमरित कौर
प्राचार्या
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय
मौरिस नगर, नई दिल्ली -110007
ई मेल – principaloffice@srcc.du.ac.in, दूरभाष- 011-27667905, 27666519

विषय: **अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को श्री राम कॉलेंज ऑफ कॉमर्स प्रशासन द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति न देने के संबंध में - श्री उमा शंकर गोंड, ऑफिस अटेंडेन्ट, श्री राम कॉलेंज ऑफ कॉमर्स का दिनांक 14.07.2022 का अभ्यावेदन।**

महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर, डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2024 को 11:20 बजे, NCST, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसे माननीय सदस्या के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:-011-24641640

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाई हेतु :-

कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली -110007

(उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 07.06.2024 को 11:20 बजे, NCST, नई दिल्ली में में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्यवाई हेतु संलग्न है।)

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:-011-24641640

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री उमा शंकर गोंड, ऑफिस अटेंडेन्ट, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली को कॉलेज प्रशासन द्वारा पदोन्नति न किए जाने के संबंध में – डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2024 को 11:20 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या : NCST/SER-509/DL/20/2022-SSW

बैठक की तिथि : 07.06.2024 को 11:20 बजे

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक पर है

श्री उमा शंकर गोंड, ऑफिस अटेंडेन्ट, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 14.07.2022 में बताया कि वह पिछले 24 वर्षो से लगातार एक ही पद पर कार्य कर रहे है। कॉलेज प्रशासन द्वारा पदोन्नति नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त है। इस विषय पर कॉलेज प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया, परंतु कोई न्याय नहीं मिला।

उपरोक्त प्रकरण को NCST ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 21.11.2022 द्वारा प्राचार्य, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली से तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा। कॉलेज से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 23.12.2023 एवं 26.03.2024 के माध्यम से बताया कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की जा रही है। अतः अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को न्याय दिलाने का कष्ट करे । आयोग ने प्रकरण में प्राचार्या, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली तथा आवेदक के साथ दिनांक 07.06.2024 को बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना अधिकारी एव याचिकाकर्ता को आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.06.2024 के द्वारा दी गयी। बैठक में प्राचार्या, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली एवं याचिकाकर्ता उपस्थित हुए।

आवेदक ने बैठक में अवगत कराया कि वर्ष 2014 में सीमित विभागीय परीक्षा में उसने 71.5 अंक प्राप्त किए थे परंतु उनको कॉलेज प्रशासन द्वारा पदोन्नति नहीं दी गयी, जबकि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 35% अंक पर उत्तीर्ण मान्य था। आवेदक ने आवेदन की प्रति, आयोग को बैठक में उपलब्ध करायी (संलग्नक-2)। प्राचार्या, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली ने अवगत कराया कि वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के दोनों पद अनारक्षित हैं जिसके लिए आवेदक पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में प्रतिस्पर्धा के लिए भागीदार बन सकता है तथा आवेदक के उपरोक्त आवेदन पर परीक्षण किया जाएगा।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने निम्न संस्तुतियाँ की तथा उन पर की गयी/की जाने वाली कार्यवाई रिपोर्ट निर्धारित अवधि के भीतर आयोग को उपलब्ध कराये :-

(क) श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली के प्राचार्या द्वारा लिखित कथन के अनुसार, 10 दिन के भीतर रोस्टर के अनुमोदन हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ कार्यवाई सुनिश्चित करें।

(ख) श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली के प्राचार्या, आवेदक के अभ्यावेदन दिनांक 05.05.2014 में उठाए गए बिन्दुओं का पुनर्परीक्षण करें, यदि, आवेदक योग्य पाया जाता है तो पदोन्नति के लिए अविलंब कार्यवाई करें।

(ग) आयोग ने यह पाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक के विभिन्न पदो में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियो के प्रतिनिधित्व का अभाव हैं । अत: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को सलाह दी जाती है कि वह विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी महाविद्यालयों में रोस्टर को सही तरीके से लागू करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करे, जिससे अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को उचित समय पर पदोन्नति मिल सके । इस विषय पर की गई / की जाने वाली कार्यवाई की रिपोर्ट आयोग को एक महीने के अंदर प्रस्तुत करने का कष्ट करे

डॉ. आशा लकड़ा / Dr Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Annexure I

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2024 को 11:20 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नयी दिल्ली मे श्री उमा शंकर गोंड, ऑफिस अटेंडेन्ट, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली को कॉलेज प्रशासन द्वारा पदोन्नति न किए जाने के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

I	<u>श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली</u>
1.	Prof. Simrit Kaur, Principal
2.	Shri Jatin Lamba, Administrative Officer
II	**<u>Petitioner</u>**
	Shri Uma Shankar Gond

आशा लकड़ा
27/06/2024
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi